

बिहार सरकार  
गृह विभाग (विशेष शाखा)

प्रेषक:

चन्द्र शेखर सिंह  
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी  
कैमूर

पटना, दिनांक- , 2017

विषय:- बिहार मानवाधिकार आयोग के वाद संख्या-BHRC/Comp.-4567/13 दिनांक-21.10.2016 में पारित एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-90 दिनांक-20.01.2017 आदेश के आलोक में PMCH अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण सनौवर अंसारी, ग्राम-दहरक, पो0+थाना-रामगढ़, जिला-कैमूर की हुई मृत्यु के फलस्वरूप मृतक के पत्नी को अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) मात्र भुगतान हेतु में आदेश/राज्यादेश संख्या-1433 दिनांक-20.02.2017 द्वारा स्वीकृत राशि के मुख्य शीर्ष-2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम मांग संख्या-22-उप शीर्ष-0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड-N2235602000011 विषय शीर्ष-3102 अनुग्रह अनुदान में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से कुल ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-

स्वीकृत।

- मृतक सनौवर अंसारी, जिला-कैमूर की पत्नी को मुआवजा भुगतान करने हेतु जिला पदाधिकारी, कैमूर को निम्नवत राशि आवंटित की जाती है:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, कैमूर को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, कैमूर को वर्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, कैमूर को कुल आवंटित राशि
₹00/- (शून्य)	₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार)	₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार)

- उक्त आवंटित राशि ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप-मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम मांग संख्या-22-उप शीर्ष-0011-मानवता के दृष्टिकोण से राहत विपत्र कोड- N2235602000011 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- उक्त राशि जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा यथा विषयांकित मृतक की पत्नी को भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, कैमूर को उपलब्ध करायी जा रही है।  
जिला पदाधिकारी, कैमूर कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा मुआवजा की राशि का भुगतान मृतक की पत्नी की समुचित पहचान कर की गई है।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, कैमूर होंगे।
- उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, कैमूर से की जायगी।
- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, कैमूर की होगी।

8. जिला पदाधिकारी, कैमूर का यह दायित्व होगा कि भुगतान किये गए राशि का भुगतान प्रमाण पत्र/प्राप्ति रसीद गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
9. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा मात्र उक्त मृतक की पत्नी को मुआवजा भुगतान के लिए किया जायेगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
10. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाय तो उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।
11. इस आवंटनादेश को महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।
12. इस आवंटन आदेश की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(चन्द्र शेखर सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-..... पटना, दिनांक-....., 2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-..... पटना, दिनांक-....., 2017

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कैमूर/वित्त विभाग-सह-बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-..... पटना, दिनांक-....., 2017

प्रतिलिपि :- उप सचिव, प्रशाखा "ए0", गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- ...../ पटना, दिनांक ....., 2017

प्रतिलिपि :- सहायक निबंधक, बिहार मानवाधिकार आयोग, 9, बेली रोड, पटना को उनके पत्रांक/वाद-BHRC/Comp.-4567/13 दिनांक-21.10.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- ...../ पटना, दिनांक-....., 2017

प्रतिलिपि :- ✓आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव